प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.03.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी फुरकान अली की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1- अकबरी पत्नी इरफान 2-इरफान निवासीगण ग्राम पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी का प्लाट को कब्जा करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर घटना पुरानी होने के कारण भादवि की सुसंगत धारा-420/467/468/471 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र इसाक अली निवासी टंकी के पास पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद हाल निवासी किरायेदार गाँव शेखपुर खचरा होण्डा शोरूम के पीछे थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 55 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपनी पत्नी अकबरी के साथ मिलकर षड़यन्त्र कर फुरकान अली के पावी सादकपुर, ट्रोनिका सिटी में स्थित खसरा सं0-522, प्लाट रकबा-230 वर्ग गज के प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

इरफान पुत्र इसाक अली निवासी टंकी के पास पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद हाल निवासी किरायेदार गाँव शेखपुर खचरा होण्डा शोरूम के पीछे थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र करीब 55 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी हंसराज सिंह की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1. रवि कुमार पुत्र कैलाश चंद निवासी वजीराबाद विलेज, बुराड़ी उत्तरी दिल्ली 2. राजेश पुत्र कैलाश चंद निवासी ग्राम बिजरोल तहसील बागपत, जिला बागपत उत्तर प्रदेश 3. बब्लू खान पुत्र मुकीम खान निवासी पहला पुस्ता, सोनिया विहार, करावल नगर उत्तर पूर्वी दिल्ली द्वारा मिलीभगत कर वादी के साथ धोखाधड़ी कर प्लाट देने के नाम पर वादी से 05 लाख 08 हजार रुपये ले लेना तथा पैसे व प्लाट न देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा- 318(4)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा दिनांक 25.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त रवि कुमार पुत्र कैलाश चंद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.03.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हसीन अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी गाँव भदसिया थाना कादरचौक जिला बदायूँ हाल पता राजीव नगर बंसल डेरी वाली गली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा असली नाम हसीन अहमद पुत्र वकील अहमद है मैंने राजेश पुत्र कैलाश चंद के नाम से रवि व बब्लू के साथ मिलकर षड़यन्त्र से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था। उक्त आधार कार्ड का प्रयोग मैंने ब्लॉक जी रामपार्क एक्स0 गांव हकीकतपुर उर्फ खुदाबांस परगना लोनी गाजियाबाद में स्थित प्लॉट 230 वर्गगज खसरा नं0-304 को अपना बताकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर हंसराज को बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

हसीन अहमद पुत्र वकील अहमद निवासी गाँव भदसिया थाना कादरचौक जिला बदायूँ हाल पता राजीव नगर बंसल डेरी वाली गली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग तथा थाना कादर चौक बदायूँ पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 04.03.2026 को थाना अंकुर विहार पर आवेदिका द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तगण 1.अक्कू पंडित 2.दक्ष चौधरी व अन्य अज्ञात के द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करना, कपडे फाड़ देना, अभद्र व्यवहार, मारपीट , गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अंकुर विहार पर सुसंगत धारा 74/76/352/351(2),351(3)/115(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में अज्ञात विपक्षी के हाथ में एक पिस्टल लहराने के सम्बन्ध में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अज्ञात व्यक्ति की पहचान हैरी उर्फ हरेन्द्र बंसल के रुप में हुई थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी व पिस्टल की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.03.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हैरी उर्फ हरेन्द्र बंसल पुत्र धर्मेन्द्र बंसल उर्फ महेन्द्र बंसल निवासी चौधरी प्यारे लाल मार्ग करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली,वर्तमान पता बी ब्लाक कलावा वाटिका के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से वायरल वीडियो से सम्बन्धित एक अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 ए.एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त हैरी उर्फ हरेन्द्र बंसल ने बताया कि यह पिस्टल मैंने लोगों में अपना दबदबा बनाने के लिए अपने पास रखी हुयी थी, यह वही पिस्टल है जो होली वाले दिन मैंने बी ब्लाक डीएलएफ में मारपीट के दौरान लोगों को दिखा कर धमकी दी थी। मैंने सिर्फ फायर करने का एक्सन किया था, मैंने कोई फायर नहीं किया था, जिसकी विडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है मैंने उस दिन लोगों में अपना दबदबा बनाने के लिये पिस्टल दिखाई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हैरी उर्फ हरेन्द्र बंसल पुत्र धर्मेन्द्र बंसल उर्फ महेन्द्र बंसल निवासी चौधरी प्यारे लाल मार्ग करावल नगर थाना करावल नगर दिल्ली ,वर्तमान पता बी ब्लाक कलावा वाटिका के पास डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा दिल्ली राज्य में ए.एक्ट व लूट का 01-01 अभियोग दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा नकली नोट के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा 500-500 रूपये के 08 नकली नोटों के साथ एक अभियुक्त शोएब उर्फ गुल्ला पुत्र इकबाल निवासी कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा-179/180 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त सादिक पुत्र आकिल का नाम भी प्रकाश में आया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.03.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित एक अभियुक्त सादिक पुत्र आकिल निवासी मौहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चौकी क्षेत्र फरीदनगर से मय 500 रूपये के 01 नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने अनस नाम के एक व्यक्ति से 1500 रूपये में 500-500 रूपये के 09 नकली नोट लिये थे, जिसमें से मैंने 08 नकली नोट शोएब उर्फ गुल्ला पुत्र इकबाल निवासी

कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को कुछ रुपये में दे दिये थे व शेष 01 नकली नोट मेरे पास बच गया था जिसे मैं बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सादिक पुत्र आकिल निवासी मोहल्ला व्यापारियान कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

500 रुपये का 01 नकली नोट बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व गोपनीय सूचनाएं / डाटा विदेश भेजने वाले कुल 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोबाइल फोन बरामद।

- दिनांक 14.03.2026 को थाना कौशाम्बी पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि भोवापुर थाना कौशाम्बी में रहने वाले कुछ युवकों की गतिविधियां समाज के साथ-साथ राष्ट्रहित के लिए ठीक नहीं है, ये लोग रेलवे स्टेशन तथा सुरक्षा बलों की जगहों के वीडियो बनाकर कुछ लोगों को भेजते है तथा पैसे का लालच देकर इस काम को करने के लिए युवाओं को आकर्षित करते है।
- उक्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए थाना कौशाम्बी पर मु०अ०सं० 76/2026 धारा 61(2)/152 बी0एन0एस0 व 3/5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए 05 पुरुष व 01 महिला को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, जिनके मोबाइल फोन की गैलरी में आपराधिक वीडियो/फोटो तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के फोटो वीडियो व लोकेशन प्राप्त हुए थे।
- प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था यातायात द्वारा **पुलिस उपायुक्त, ट्रांसहिण्डन के पर्यवेक्षण में एवं अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (एस०आई०टी०)** का गठन किया गया था, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त, इन्दिरापुरम अपराध अभिसूचना व प्रभारी निरीक्षक कौशाम्बी/ साइबर क्राइम तथा स्वाट टीम अपराध शाखा/ ट्रांस हिण्डन जोन को सम्मिलित किया गया था।
- एस०आई०टी० द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तगण को दिनांक 17.03.2026 से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिया गया है तथा अभियुक्तगण से की गयी पूछताछ के आधार एस0आई0टी0 द्वारा पूर्व में विभिन्न तिथियों पर **12 अन्य अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया जा चुका है।

- आज दिनांक 24.03.2026 को एस0आई0टी0 द्वारा प्रकाश में आये 03 अन्य अभियुक्तों को दिल्ली, शामली व भोवापुर कौशाम्बी से गिरफ्तार किया गया है। **इस प्रकार उक प्रकरण में अब तक 21 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।**

- **उक्त प्रकरण में अबतक की विवेचना में गिरफ्तार अभियुक्तगण के देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने व गोपनीय सूचनाएं विदेश भेजने जिसका दुरूपयोग होने की प्रबल सम्भावना है, के साक्ष्य पाये जाने पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधि० 1967 (UAPA) की धारा 18 की वृद्धि की. गयी है।**

- **गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**
  1-समीर उर्फ शूटर पुत्र शौकत अली हाल निवाली बल्लीमारन चाँदनी चौक दिल्ली मूल निवासी झुनझुना बस्ती सोभापुर भागलपुर बिहार। उम्र करीब 20 वर्ष, शिक्षा- निल
  2-समीर पुत्र शहजाद निवासी ग्राम बुटराडा थाना बाबरी जनपद शामली उ०प्र०। उम्र करीब 22 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 08
  3- शिवराज पुत्र सर्वेश हाल निवासी दुर्गा मन्दिर के पास भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता चटीया बहादरपुर शाहजहाँपुर उ०प्र०। उम्र करीब 18 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 09

  पुछताछ का विवरण- अभि0गण से की गयी विस्तृत पूछताछ में पाया गया है कि उक्त सम्पूर्ण गिरोह का संचालन सीमापार से किया जा रहा था, जिसके मुख्य सदस्य अब तक की पूछताछ के अनुसार सुहैल मलिक, नौशाद अली व समीर उर्फ शूटर है। सुहैल मलिक को दिनांक 14.03.2026 को तथा नौशाद अली को दिनांक 22.03.2026 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

  आज दिनांक 24.03.2026 को गिरफ्तार अभि० समीर उर्फ शूटर द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में उसके द्वारा असलाहों के साथ कुछ फोटो/वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये गये थे, जिसके बाद इस गिरोह के सदस्य नौशाद व सुहैल द्वारा समीर से सम्पर्क किया गया और उसे विभिन्न व्हाट्सअप ग्रुप में जोडा गया। इसके बाद धरि-धीरे उसे विभिन्न प्रकार के कार्य आवंटित किये गये जिसमें उससे देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षाबल के ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कराकर उनके फोटो/वीडियो तथा जी0पी0एस0 लोकेशन विदेशी नम्बरों पर मंगाये गये थे। फोटो/वीडियो हेतु उसने प्ले स्टोर से एप इनस्टॉल किया था, जिसके संचालन के सम्बन्ध में भी उसे ट्रेनिंग दी गयी थी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा कई लड़कों को भी इस गिरोह से जोड़कर पैसे का लालच देकर रेकी का कार्य कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त समीर पुत्र शहजाद द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वर्ष 2024 के अन्त में इन्स्टाग्राम के माध्यम से उसकी मुलाकात पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद से हुई और दोनो की बातचीत शुरू हो गयी। इसके कुछ समय बाद नौशाद द्वारा उसे एक व्हाट्सअप ग्रुप में जोडा गया, जिसमें मीरा भी पूर्व से जुडी हुई थी। इसी ग्रुप के माध्यम से वह मीरा के सम्पर्क में आया। वह मीरा के कहने पर उसके साथ मध्य प्रदेश में पिस्टल की तस्करी में भी शामिल हुआ था। वर्ष 2025 में व सीमापार से संचालित हो रहे इस गिरोह के सम्पर्क में आया और उसके द्वारा विभिन्न सुरक्षाबल के ठिकानों व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कराकर उनके फोटो/वीडियो तथा जी०पी०एस० लोकेशन विदेशी नम्बरों पर भेजे गये थे।

गिरफ्तार अभि० शिवराज द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त साहिल के माध्यम से वह इस गिरोह से जुडा था। साहिल के कहने पर उसके द्वारा सोनीपत में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाया गया था, जिसके फुटेज अन्यत्र भेजे जा रहे थे। उक्त कार्य के एवज में उसे 5000 रूपये मिले थे।

बरामदगी का विवरण-

1- 03 अदद मोबाइल फोन